FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
खेतसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति पुरोहित निवासी ताण्डाबेरा, धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा		1 आसुसिंह पुत्र गोकाराम जाति पुरोहित निवासी ताण्डाबेरा, धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरह (31) 32 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

किस्म मुकदमा......धारा 111,128 RLR Act.

मुकदमा नंबरः–86 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.04.2025	प्रार्थी खेतसिंह की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री महेन्द्रसिंह सोढ़ा ने विप्रार्थी आसुसिंह वगैरह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 111,128 RLR Act. पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 01.05.2025 को पेश हो। (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) उपखण्ड अधिकारी, सिवाना **उपखण्ड अधिकारी** **सिवाना (बालोतरा)**	
01.05.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि के रिकॉर्ड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे मेड़ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने पर उतारू है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ताण्डाबेरा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 274, 253 रकबा क्रमशः 08.3058 व 06.1931 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.22 13:30:05 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	सिवाना को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.22 13:30:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

क्रमांकः वाद/2025/956

दिनांक : 12.05.2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
खेतसिंह पुत्र गणपतसिंह		आसुसिंह पुत्र गोकाराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन संः–86/2025

दिनांकः–01.05.2025

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम ताण्डाबेरा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 274 व 253 रकबा क्रमशः 08.3058 व 06.1931 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 2000/–प्रार्थी अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
(सिवाना) (बालोतरा)

क्रमांकः वाद/2025/957

दिनांक : 12.05.2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी धारणा को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्री खेतसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति पुरोहित निवासी ताण्डाबेरा, धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा को सूचनार्थ

उपखण्ड अधिकारी
(सिवाना) (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.22 13:30:05 IST
Reason: SelfAttested